

बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान -841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154-242099 (कार्यालय)
06154-242860 (कार्यालय)
06154-242098 (आवास)
06154-242348 (फैक्स)

email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में दिनांक-04.06.2018 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :-

1.1-विधि शाखा- बताया गया कि वर्तमान में एम0जे0सी0 का 04 मामला लंबित है।

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 / 18 रामवचन बनाम बिहार राज्य	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मैरवा	प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा द्वारा बताया गया कि एस0ओ0एफ0 के जिलाधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मैरवा को स्वयं कारण-पृच्छा दाखिल करनी है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मैरवा प्रखण्ड को निदेश दिया गया कि प्र0वि0पदा10, मैरवा से बात कर तुरंत कारण पृच्छा दाखिल कराना सुनिश्चित करें(अनु0-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान/ वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मैरवा प्रखण्ड)
	एम0जे0सी0 नं0- / 18 ध्रुवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, महाराजगंज	प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी से एस0ओ0एफ0 प्राप्त हुआ था, जिसे सुधार हेतु वापस किया गया है। उन्हें अंचलाधिकारी से वार्ता कर तुरंत मंगाने का निदेश दिया गया। (अनु0-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान)
3	एम0जे0सी0 नं0- / 18 राबिया खातून एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	अबतक कारण पृच्छा दाखिल नहीं होने पर जिलाधिकारी द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी को अगली बैठक के पूर्व एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया। (अनु0-जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान)
4	एम0जे0सी0 नं0- / 18 बलिन्द्र कुंवर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	अबतक कारण पृच्छा दाखिल नहीं होने पर जिलाधिकारी द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी को अगली बैठक के पूर्व एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया। (अनु0-जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान)
15	एम0जे0सी0 नं0- / 18 एस0 अब्दुल मनान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	बताया गया कि इस वाद में आयुक्त, सारण प्रमंडल के स्तर से एस0ओ0एफ0 भेजा जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इससे सम्बंधित रिपोर्ट आयुक्त को 2 दिनों के अंदर भेजने का निदेश दिया गया ताकि उनके स्तर से एस0ओ0एफ0 तैयार किया जा सके। (अनु0-जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान)

1.2-यह भी बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय-सीमा के अंदर एस0ओ0एफ0 दाखिल किया जाना है :-

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0'1997/2018 इमरान खान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, बड़हरिया	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार कर अंचलाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान को भेज दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान सदर से सम्पर्क कर तुरंत एस0ओ0एफ0 मंगाने का निदेश दिया गया। (अनु0-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान)
2	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0- / 2018 नंद लाल प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचल अधिकारी, मैरवा	बताया गया कि इसमें दिनांक-23.04.18 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। अंचल अधिकारी, मैरवा से अभीतक एस0ओ0एफ0 प्राप्त नहीं होने पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया और वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मैरवा प्रखण्ड को इसे तुरंत

			भेजवाने का निदेश दिया गया। (अनु०-वरीय प्रभारी पदाधिकारी,मैरवा प्रखण्ड)
3	सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०- /2018 नंदकिशोरी देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि इसमें दिनांक-13.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि इसमें काफी विलम्ब हो चुका है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। (अनु०-जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान)
4	सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-7019 /2018 बृजकिशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	बताया गया कि इसमें दिनांक-27.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि इसमें काफी विलम्ब हो चुका है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। (अनु०-जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान)
5	सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-7691 /2018 धर्मनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	कार्यपालक अभियन्ता, पी०एच०ई०डी०, सीवान	बताया गया कि इसमें दिनांक-27.0418 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रतिशपथ पत्र दायर करना है। बताया गया कि एस०ओ०एफ० तैयार कर अनुमोदन हेतु विभाग को भेजा गया है,लेकिन अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें विभाग से सम्पर्क कर अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। (अनु०-कार्य० अभि०,लोक स्वा०अभि० प्रखण्ड,सीवान)

1.3-विभिन्न न्यायालय स्तर से प्राप्त (एम०एम०) महत्वपूर्ण सी०डब्ल्यू०जे०सी० के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय-सीमा के अंदर एस०ओ०एफ० दाखिल किया जाना है :-

1	Chitrnanjan Sinha, Senior Adv. Principal Additional Advocate General No 2, Patna High court	पत्रांक 1067 दि० 31.01.18	सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-3522/16 विकासचन्द्र गुड्डू बाबा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	राजस्व/स्वास्थ्य/नगर परिषद	जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया और 2 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। (अनु०-सिविल सर्जन,सीवान)
---	---	---------------------------	--	----------------------------	---

जिलाधिकारी द्वारा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से लंबित एम०जे०सी०/सी०डब्ल्यू०जे०सी० के मामलों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। (अनु०-सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी)

2-लोक शिकायत निवारण :- अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी अनुपालन की स्थिति ठीक है। कोई समस्या नहीं है।

3-आर०टी०पी०एस०- आई०टी० मैनेजर द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 15 मामले कालबाधित हुए हैं। जिलाधिकारी सामाजिक सुरक्षा के मामलों के लगातार कालबाधित होने पर असंतोष व्यक्त किया गया और अनुमण्डल पदाधिकारियों को इन मामलों को स्वतः अपील में लेते हुए कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। (अनु०-अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर/महाराजगंज)

बताया गया कि अभी भी दरौंदा,दरौली, सिसवन एवं बसंतपुर अंचल अधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की बैठक की कार्यवाही को अपलोड नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा सम्बंधित अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। (अनु०-प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा)

4-विद्युत :- कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सीवान द्वारा बताया गया कि इस माह में 9.3 करोड़ रु० की वसूली हुई है। जिलाधिकारी द्वारा इस बात पर असंतोष व्यक्त किया गया कि विद्युत आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि मैरवा लाईन से समस्या आ रही है। उन्हें इसे तुरंत ठीक कराने का निदेश दिया गया। (अनु०-कार्य०अभियन्ता,विद्युत,सीवान)

5-ग्राम स्वराज अभियान :-जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि अभी तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से सम्बंधित ग्राम स्वराज अभियान का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशक,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा

बातया गया कि प्रतिवेदन तैयार हो गया है। उसे तुरंत भेजने का निदेश दिया गया।(अनु०-निदेशक, जिला आर्थिक विकास अभिकरण,सीवान)

6-सहकारिता- जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक 73 प्रतिशत सी०एम०आर० ही प्राप्त हुआ है।जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन गोदाम में काफी कम सी०एम०आर० प्राप्त हो रहा है और प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारियों द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जा रही है।ऐसी स्थिति रही तो 30 जून तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिलाधिकारी द्वारा इस पर असंतोष व्यक्त किया गया और सम्बंधित प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी एवं पैक्स प्रबंधक से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। साथ ही गेहूँ की अधिप्राप्ति भी प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।(अनु०-जिला सहकारिता पदाधिकारी सीवान)

7-आपूर्ति:- जिला आपूर्ति पदाधिकारी बताया गया कि खाद्यान्न का उठाव हो रहा है। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित समय के अंदर खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। (अनु० :-जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम,सीवान)

8-कृषि :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अभी कोई समस्या नहीं है।

9-निर्वाचन :-

9.1-मतदान केन्द्र का युक्तिकरण- उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को दिनांक 15.06.2018 तक विहित प्रपत्र में मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है और इसका पर्यवेक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस सम्बंध में स्पष्ट आदेश निर्गत करने का निदेश दिया गया। (अनु०-उप निर्वाचन पदाधिकारी, सीवान)

9.2-निर्वाचक सूची का भौतिक सत्यापन :-उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गृहवार निर्वाचक का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है,जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस सम्बंध में स्पष्ट आदेश निर्गत करने का निदेश दिया गया। (अनु०-उप निर्वाचन पदाधिकारी, सीवान)

9.3-दिव्यांगजनों से संबंधित प्रतिवेदन :- उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विधान सभा क्षेत्रवार दिव्यांगजनों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है। इस सम्बंध में स्मार भेजने का निदेश दिया गया।

9.4- ELC (Electoral Literacy Club) :- उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में दिनांक 26.05.2018 को सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि अविलम्ब बी०एल०ओ० को प्रशिक्षित किया जाय एवं सभी ELC पर गतिविधि आयोजित करते हुए प्रतिवेदित किया जाय।

जिलाधिकारी द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी को इन बिन्दुओं पर विचार हेतु अलग से बैठक का आयोजन करने के लिए तिथि निर्धारित करने हेतु संचिका प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। (अनु० उप निर्वाचन पदाधिकारी,सीवान)

10-खनन :- खनन निरीक्षक, सीवान द्वारा बताया गया कि अभी तक डिपो में बालू उपलब्ध नहीं हुआ है और जानकारी मिल रही है कि विभाग द्वारा डिपो को बंद किया जा रहा है।

11-मध्याह्न भोजन योजना :- बताया गया कि वर्तमान में विद्यालय बन्द है, जिसके कारण मध्याह्न भोजन योजना का कार्यक्रम बंद है।

12-बाढ़ नियंत्रण:-कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, सीवान द्वारा बताया गया कि तटबंधों का निरीक्षण कर लिया गया है और तटबंध पर बालू जमा किया जा रहा है एवं बोरी में बालू को भरकर स्टॉक किया जा रहा है।

रक्षकों को कॉल-अप करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। अभी कोई समस्या नहीं है। निदेश दिया गया कि बाढ़ पूर्व आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। (अनु०-कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, सीवान)

13-आपदा प्रबंधन:- बताया गया कि निविदा नहीं हो पायी है। पुनः निविदा निकालने का निर्देश दिया गया। (अनु०-प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, सीवान)

13-विविध:-

1- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरौली में विद्युत कनेक्शन के लिए एक माह पूर्व राशि जमा की गई है लेकिन अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाया है। इसी तरह जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीवान द्वारा बताया गया कि बड़हरिया के खाद्य गोदाम का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है एवं भैरवा खाद्य गोदाम में विद्युत कनेक्शन नहीं है जबकि उसके लिए राशि जमा कर दी गई है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियन्ता को सरकारी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु०-कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, सीवान)

2- बताया गया कि जिला अवर निबंधक के आवासीय परिसर में एक बृक्ष सूख गया है, जिसके मूल्यांकन के लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को लिखा गया है, लेकिन अभी तक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को इसकी जांच कर तुरंत मूल्यांकन प्रतिवेदन जिला अवर निबंधक को भेजवाने का निदेश दिया गया। (अनु०-वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सीवान)

3-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बताया गया कि बिहार दिवस, 2018 के अवसर पर गाँधी मैदान, सीवान में विभिन्न विभागों यथा जीविका, उत्पाद, बाल संरक्षण, पी०एच०ई०डी०, डि०आर०सी०सी०, शिक्षा, बैंकिंग, कल्याण, विद्युत, उद्योग, श्रम, राजस्व, स्वास्थ्य, रेडक्रास एवं सांसाजिक सुरक्षा को स्टॉल लगाने के लिए जगह दी गई थी और उसके लिए उन्हें प्रति स्टॉल 4000 रु० का भुगतान करना था, लेकिन पी०एच०ई०डी० को छोड़ कर अन्य किसी विभाग द्वारा उक्त राशि जमा नहीं की गई है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चेक के माध्यम से राशि जमा कर दी गई है। उन्हें चेक की छाया प्रति पत्र के माध्यम से भेजने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा अन्य पदाधिकारियों को अपने विभाग से सम्बंधित राशि तुरंत जमा करने का निदेश दिया गया। (अनु०-सम्बंधित पदाधिकारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-

जिलाधिकारी, सीवान

ज्ञाप सं०-1367/सी० दिनांक- 04 वीं जून, 2018 ई०

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, सीवान/अपर समाहर्ता, सीवान/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/सिविल सर्जन, सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान, महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान, महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/महाराजगंज/कोषागार पदाधिकारी, सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/आई०टी०मैनेजर, सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, सीवान